किसान क्रेडिट कार्ड योजना

- फसली ऋण घटक (**Crop Production Limit**) का आकलन संबंधित (कृषि भूमि x फसल वित्तमान दर) + बीमा किश्त + फसल कटाई के पश्चात की आवश्यकताओं के लिए ऋण सीमा का 10% + फार्म असेट रखरखाव खर्चों के लिए 20% के आधार पर किया जाता हैं।
- सीमांत किसानों के लिए निर्धारित सामान्य आंकलन के साथ फ्लेक्सी किसान क्रेडिट कार्ड. न्यूनतम सीमा रू.50000/–
- किसान क्रेडिट कार्ड की वैधता 03 वर्ष.
- फसली ऋणों के लिए अलग से मार्जिन पर जोर देने की आवश्यकता नही।
- खातें से कोई आहरण 12 माह से अधिक समय के लिए बकाया नहीं रहेगा. किसी भी समय खाते में नामे राशि को शून्य करने की आवश्यकता नहीं.
- समय से भुगतान के लिए ब्याज सहायता/प्रोत्साहन भारत सरकार तथा/अथवा राज्य सरकार के मानदंडों के अनुसार उपलब्ध होगा.
- रु 3.00 लाख की सीमा तक प्रोसेसिंग फीस नहीं.
- पहली बार आहरण करते समय एक मुश्त प्रलेखन और उसके बाद किसान द्वारा सामान्य घोषणा (उगाई गई/प्रस्तावित फसलों के संबंध में)
- किसानों के दो अलग–अलग खातों के स्थान पर केसीसी सह बचत खाता. केसीसी सह बचत खाते में जमा शेष राशि पर बचत बैंक खाते की दर ब्याज मिलेगा.
- आईसीटी चालित चैनलों जैसे एटीएम/पीओएस/मोबाइल हैंडसेट सहित विभिन्न डिलीवरी चैनलों के माध्यम से ऋण वितरण का प्रावधान.
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अनुसार फसलों व दुर्घटना, जीवन बीमा आदि की उपलब्धता,
- केसीसी ऋण के लिये आवश्यक दस्तावेंज –
    - पहचान दस्तावेज यथा आधार कार्ड/वोटर आयडी कार्ड/ड्रायविंग लायसेंस/पेन कार्ड/पासपोर्ट/नरेगा जॉब कार्ड/अन्य दस्तावेज
    - पते का दस्तावेज
    - नवीनतम पासपोर्ट आकार के फोटो
    - कृषि भूमि का रेकार्ड (खसरा खतौनी (BI & PII) की नकल)
- अधिक जानकारी के लिए नजदीकी शाखा में सम्पर्क करें।